भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1356**

उत्तर देने की तारीख 27 जुलाई, 2026

सोमवार, 5 श्रावण, 1948 (शक)

**पीएमकेवीवाई 4.0 का पुनर्गठन**

**†1356.डॉ. लता वानखेड़े:**

**श्रीमती शांभवी:**

**क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षण भागीदारों के केंद्रीय वित्तपोषण को सीधे उम्मीदवारों के अंतिम सत्यापित रोजगार प्लेसमेंट से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 को पुनर्गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2025-26 में विशेष रूप से सागर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पाठ्यक्रम पूरा होने के तीन महीने के भीतर नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार को सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाले सामान्य पृष्ठभूमि के प्रमाणित युवाओं का प्रतिशत क्या है;

(ग) खुदरा (रिटेल), लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में ग्रामीण प्रमाणित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किया गया औसत प्रारंभिक मासिक वेतन कितना है;

(घ) क्या इन कुशल युवाओं के दीर्घकालिक रोजगार प्रतिधारण और करियर विकास की निगरानी के लिए कोई डिजिटल निगरानी मंच कार्यरत है; और

(ड.) वास्तविक व्यावहारिक औद्योगिक कार्यशाला प्रशिक्षण प्रदान किए बिना फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले, प्रशिक्षण संस्थानों को दंडित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू की गई योजना के पहले तीन संस्करणों - पीएमकेवीवाई 1.0,

पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 - में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में प्लेसमेंट पर नजर रखी गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 से लागू पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) द्वारा इसके लिए उपयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।

(घ) एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) शुरू किया है, जो एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है और कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता ईकोसिस्टम को एकीकृत करके लाभार्थियों को जीवनभर चलने वाली सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, सिद्ध के माध्यम से उम्मीदवारों की प्रमाणन के बाद एक वर्ष तक ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान की गई है।

(ङ) पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने एक सुदृढ़ निगरानी और अनुपालन ढांचा तैयार किया है। इसमें उम्मीदवारों की प्रमाणन के बाद की ट्रैकिंग, कॉल-आधारित सत्यापन, चेहरा प्रमाणीकरण आधारित उपस्थिति प्रणाली (एफएएएस) जैसी प्रौद्योगिकी-आधारित व्यवस्थाएं और सिद्ध प्लेटफॉर्म पर एक रीयल-टाइम अटेंडेंस डैशबोर्ड, साथ ही प्रशिक्षण केंद्रों का संरचित वर्चुअल और भौतिक निरीक्षण शामिल हैं। मंत्रालय ने समय पर अनुपालन न करने की पहचान और निवारण को सुविधाजनक बनाने के लिए सुस्पष्ट प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक (केपीआई), स्वचालित जोखिम अलर्ट और एक सुदृढ़ दंड ढांचा पेश करके निगरानी दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया है।

निरीक्षण और अभिलेखों के सत्यापन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, नियमों का पालन न करने वाले प्रशिक्षण भागीदारों और प्रशिक्षण केंद्रों के विरुद्ध उचित प्रवर्तन कार्रवाई की गई है। इन कार्रवाइयों में कारण बताओ नोटिस जारी करना, संचालन निलंबित करना, भुगतान रोकना और वसूली करना, प्रत्यायन और संबद्धता रद्द करना, ब्लैकलिस्ट करना और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्यवाही शुरू करना शामिल है। आज तक, 42 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं, 182 नियमों का पालन न करने वाले प्रशिक्षण भागीदारों/प्रशिक्षण केंद्रों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और दोषी संस्थाओं से वित्तीय हानि की वसूली के लिए वसूली कार्यवाही शुरू की गई है।

*****